



उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या :A-4/E-1/2022

दिनांक : 04/06/2022

खान निरीक्षक परीक्षा—2022

आन—लाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि :— 04/06/2022

आनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि :— 01/07/2022

आनलाइन आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथि :—04/07/2022

महत्वपूर्ण

यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा कोई भी वांछित/आवश्यक सूचना छिपाई जाती है अथवा उसका मिथ्या निरूपण किया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है तथा उसके विरुद्ध अन्य उचित कार्यवाही जैसे प्रतिवारण आदि प्रारम्भ की जा सकती है।

विशेष सूचना:—(क) “बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका आन लाइन आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद किसी बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आन लाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन ‘Submit’ करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। यह भी सूचित किया जाता है कि परीक्षा शुल्क के रूप में जमा की गई धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।”

(ख) आनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित कॉलम में अपना मोबाइल नं. और मान्य ई—मेल आईडी देना होगा जिसके बिना उनका Basic Registration पूरा नहीं होगा। इसी मोबाइल नं0 पर भविष्य में सभी सूचनाएं/निर्देश एसएमएस द्वारा भेजे जायेंगे तथा ई—मेल उनके मान्य ई—मेल आईडी पर प्रेषित किये जायेंगे।

आन—लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की website <https://uppsc.up.nic.in> पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु ‘आन—लाइन’ आवेदन पद्धति (ON-LINE APPLICATION SYSTEM) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी आन—लाइन आवेदन ही करें।

आन—लाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भलीभाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें:—

1—आयोग की Website <https://uppsc.up.nic.in> पर “**ALL NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS**” अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर On-LINE ADVERTISMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं:—

- (i) User Instructions
- (ii) View Advertisement
- (iii) Apply

उन समस्त विज्ञापनों की सूची प्रदर्शित होगी जिनमें “आन—लाइन आवेदन पद्धति” लागू है। User Instruction में अभ्यर्थियों को आन—लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा—निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने “View Advertisement” को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ आन—लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample Snapshots भी प्रदर्शित होंगे। आनलाइन आवेदन हेतु “Apply” पर Click करें।

“आन—लाइन आवेदन” करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जायेगा:— प्रथम स्तर—Apply Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष ‘Candidate Registration’ प्रदर्शित होगा तथा ‘Candidate Registration’ Click करने पर Basic Registration Form प्रदर्शित होगा। Basic Registration Form भरने के पश्चात Submit बटन पर Click करने से पूर्व अभ्यर्थी भरी गई सूचनाओं को भली भाँति जाँच लें एवं यदि कोई संशोधन करना हो तो “Edit” button पर क्लिक करें। भरी गई सूचनाओं से सन्तुष्ट होने के पश्चात ‘Submit’ बटन पर Click करें, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात ‘Print Registration Slip’ प्रदर्शित होगी, जिस पर Click करके Registration Slip की प्रिन्ट प्राप्त कर लें।

द्वितीय स्तर—प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात स्क्रीन पर “Click here to proceed for payment” कैफ्यान के साथ ‘Fee to be deposited [in INR]’ प्रदर्शित होगा। उक्त कैफ्यान पर क्लिक करने के पश्चात स्टेट बैंक MOPS (Multi Option Payment System) का Home Page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे (i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES. उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात “Payment Acknowledgement Receipt (PAR)” प्रदर्शित होगी जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसकी प्रिन्ट ‘Print Payment Receipt’ पर क्लिक करके प्राप्त कर लें। तृतीय स्तर—द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात ‘Proceed for final submission of application form’ पर क्लिक करने पर फार्मेट प्रदर्शित होगा। उक्त फार्मेट में आनलाइन सूचनाएं भरनी होंगी तथा फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज (साइज का उल्लेख आन लाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर होगा) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष (Chest) तक होनी चाहिये। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके Upload नहीं किया जाता है तो आवेदन को आनलाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने

की प्रक्रिया परिशिष्ट—1 में दी गई है। आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद “PREVIEW” को Click करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही—सही भरी गई हैं और पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद ही आनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु “Submit” बटन को Click करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनायें सही—सही निर्देशानुसार आन—लाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक “Submit” बटन को Click करना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी द्वारा “Submit” बटन को Click नहीं किया जायेगा तो आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तथा इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। “Submit” बटन को Click करने के पश्चात आवेदन का प्रिन्ट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारम्भिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धी हार्ड कापी आयोग को प्रेषित न करें।

2. आवेदन शुल्क—आन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारम्भिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार हैं:—

(i) अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग—परीक्षा शुल्क ₹0 100/- + आनलाइन प्रक्रिया	शुल्क ₹0 25/- योग = ₹0 125/-
(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	परीक्षा शुल्क ₹0 40/- + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹0 25/- योग = ₹0 65/-
(iii) दिव्यांग श्रेणी	परीक्षा शुल्क NIL + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹0 25/- योग = ₹0 25/-
(iv) भूतपूर्व सैनिक	परीक्षा शुल्क = ₹0 40/- + आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹0 25/- योग = ₹0 65/-
(v) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अपनी मूल श्रेणी के अनुसार आश्रित/महिला/कुशल खिलाड़ी/उत्कृष्ट खिलाड़ी	

3. ऐसे अभ्यर्थी, जो उम्र ०३० लोक सेवा आयोग से प्रतिवारित किये गये हैं तथा उनकी प्रतिवारण अवधि समाप्त नहीं हुयी है, उनका Basic Registration स्वीकार्य नहीं होगा। यदि प्रतिवारण सम्बन्धी तथ्यों को छिपाकर आवेदन कर भी देते हैं तो भविष्य में किसी भी स्तर पर यह तथ्य प्रकाश में आने पर न केवल इस परीक्षा हेतु उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा वरन् उन्हें समस्त आगामी परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित करने/प्रतिवारण अवधि बढ़ाये जाने के बारे में आयोग द्वारा विचार किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस सम्बन्ध में अपने आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर आयोग द्वारा उन्हें प्रश्नगत परीक्षा तथा भविष्य में आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

4. सबमिट किये गये आवेदन में संशोधन: आनलाइन आवेदन Submit करने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को Submit किये जा चुके आवेदन में किसी त्रुटि का ज्ञान होता है तो परीक्षा का नाम एवं भर्ती का प्रकार, Registered Mobile Number, E-mail ID, Aadhaar Number तथा ऐसे मामले जिनमें संशोधित श्रेणी का शुल्क अधिक है को छोड़कर (इन प्रविष्टियों में त्रुटि करने की दशा में अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ ही नया ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं क्योंकि पूर्व में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में समायोजित/वापस नहीं किया जायेगा) अभ्यर्थियों को आनलाइन आवेदन submit करने की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व संशोधित करने हेतु एक अवसर अनुमन्य है, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है:—

“अभ्यर्थी को Candidate Segment में ‘Online application process’ के अन्तर्गत ‘Modify Submitted Application’ को विलक (Click) करना होगा, Click करने के पश्चात “Candidate Personal Details” Screen प्रदर्शित होगी जिसमें अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन नं., जन्मतिथि (Date of Birth), लिंग (Gender), निवास (Domicile) तथा श्रेणी (Category) भरनी होगी। तत्पश्चात Verification Code अंकित करने के बाद Proceed Button पर क्लिक करना होगा, जिसके पश्चात अभ्यर्थी का Authentication OTP (One Time Password) के द्वारा होगा। OTP अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नं0 पर भेजा जायेगा जिसे अभ्यर्थी Option Box में भरेगा। इसके पश्चात ‘Proceed’ बटन को विलक करने पर पूर्व में Submit आनलाइन आवेद

5. उ0प्र0 लोक सेवा आयोग खान निरीक्षक (मुख्य) परीक्षा-2022 में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु इस विज्ञापन के परिशिष्ट-2 में उल्लिखित जिलों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करेंगे। अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि तथा केन्द्र की सूचना ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी। अंतिम रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर आयोग के निर्णयानुसार जिला/केन्द्रों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।

6. रिक्तियों की संख्या : वर्तमान में रिक्तियों की संख्या 55 है जो कि विशेष परिस्थितियों/आवश्यकतानुसार घट-बढ़ सकती है। पद का स्वरूप: समूह 'ग' पे मैट्रिक्स- लेवल-7, ₹ 44,900/- से 1,42,400/-

7. आरक्षण: उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों, यथा-उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित/भूतपूर्व सैनिकों/उत्कृष्ट खिलाड़ियों/समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों तथा महिला अभ्यर्थियों को भी अद्यतन शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियाँ बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर रिक्तियाँ बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा।

नोट:- (1) शासनादेश संख्या 39 रिट/का-2/2019 दिनांक 26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या 18/1/99/का-2/2006 दिनांक-09 जनवरी, 2007 के प्रस्तर-4 में दिये गये प्राविधान, "यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है" को रिट याचिका संख्या 11039/2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा.उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.01.2019 को अधिकारातीत (ULTRA VIRES) घोषित करने सम्बन्धी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 09.01.2007 से प्रस्तर -04 को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील (टी) संख्या-475/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

(2) आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के (परिशिष्ट-3) में मुद्रित तथा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाएं तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें।

(3) उ0प्र0 के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी/उपश्रेणी अवश्य अंकित करें।

(4) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी।

(5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, पीएच तथा भूतपूर्व सैनिक/उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे।

(6) महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

(7) अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी/उपश्रेणी का दावा किया गया है, उसके समर्थन में समस्त वांछित अंकपत्रों तथा प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में उनका दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8. आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें: (केवल आयु में छूट हेतु) आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में पुनर्वास के लिए वृद्धि की गई है, भी इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या-22/10/1976-कार्मिक-2-85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं :

(1) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है।

(2) ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अभिवचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यदि (क) उसे सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त हो गया हो। (ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो एवं (ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त न हुआ हो और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गई हो। आवेदन पत्र Submit करने की अंतिम तिथि तक शैक्षिक योग्यता/पात्रता की सभी शर्तें पूर्ण होना अनिवार्य है।

9. वैवाहिक प्रास्थिति: ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी

पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

10. शैक्षिक अर्हताएं: (1) अनिवार्य अर्हता:- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से खनन अभियन्त्रण में तीन वर्षीय डिप्लोमा।

(2) अधिमानी अर्हता: अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा, जिसने (1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि की सेवा की हो या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

11. आयु सीमा-(1) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2022 को न्यूनतम 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1982 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 2001 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई, 1967 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(2) अधिकतम आयु सीमा में छूट: (क) उ0प्र0 के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों/राज्य सरकार के कर्मचारियों/बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणेत्र कर्मचारियों/अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1977 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(ख) उ0प्र0 के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अवधि + 3 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी।

(ग) उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी।

12. मुख्य परीक्षा के सम्बन्ध में कठिपय सूचनायें: (1) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य (लिखित परीक्षा) में सम्मिलित किए जायेंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा एवं अनारक्षित (सामान्य), अभ्यर्थियों, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ0प्र0 के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क ₹ 200/- एवं आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/-, योग ₹ 225/- तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क ₹ 80/- एवं आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग ₹ 105/- निर्धारित है। क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले उ0प्र0 के दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु कोई शुल्क देय नहीं है परन्तु उन्हें आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- मात्र देना होगा। उ0प्र0 के सेना के भूतपूर्व सैनिकों हेतु परीक्षा शुल्क ₹ 80/- एवं ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ₹ 25/- योग ₹ 105/- निर्धारित है। उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला/कुशल खिलाड़ियों/उत्कृष्ट खिलाड़ियों के अभ्यर्थी जिस मूल श्रेणी से सम्बन्धित होंगे/होंगी, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु शुल्क जमा करना होगा।

(2) अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक नोट कर लें कि मुख्य परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर बैठेंगे जो उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आवंटित किया गया है।

(3) मुख्य परीक्षा हेतु तिथियों तथा परीक्षा केन्द्र बाद में आयोग द्वारा निर्धारित किए जायेंगे, जिसकी सूचना ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेंगी।

नोट: अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) के आवेदन पत्र के स

सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो सक्षम चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हों, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिन्हित किए गये पदों पर दिव्यांग की उप श्रेणी के अन्तर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

(6) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है।

(7) परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

(8) जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा और मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(9) आवेदन पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(10) आयोग आवेदन पत्र की सरसरी जाँच पर अभ्यर्थियों को औपचारिक प्रवेश दे सकते हैं किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरान्त संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जायेगी।

(11) कदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांकनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(12) आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन नम्बर, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

(13) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।

(14) प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्विटियों के 15 गुना तक अभ्यर्थी सफल घोषित किये जायेंगे।

(15) ऐसे अभ्यर्थी जो अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, इस परीक्षा में आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं।

(16) अभ्यर्थी उत्तर पत्रक को भरने में केवल काले बाल प्याइंट पेन का प्रयोग करें। पेंसिल या किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें।

(17) **परीक्षा के समय अभ्यर्थी OMR Answer Sheet एवं उपस्थिति पत्रक पर मांगी गयी सूचना एवं सभी प्रविष्टियां, सही-सही भरें।** इन्हें रिक्त छोड़ने अथवा त्रुटिपूर्ण भरने की स्थिति में उनकी OMR Answer Sheet का मूल्यांकन आयोग द्वारा नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। उत्तर पत्रक में भरी गयी सूचना को क्लाइटनर, ब्लेड अथवा रबर आदि से मिटाया नहीं जाए।

(18) OMR Answer Sheets दो प्रतियों में, एक मूल प्रति (Original Copy) तथा दूसरी अभ्यर्थी प्रति (Candidate's Copy) रहेगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी OMR Answer Sheets की मूल प्रति (Original Copy) अन्तरीक्षक को सौंप देंगे तथा अभ्यर्थी प्रति (Candidate's Copy) अपने साथ ले जायेंगे।

(19) प्रारम्भिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्नपत्रों में गलत उत्तरों पर दण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत लागू होगी:-

1. प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जाएगा।

2. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी इस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जाएगा।

3. यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जाएगा।

(20) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे।

(21) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी/कूटरचित Submit किया पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिए प्रतिवारित

किया जायेगा तथा उसके विरुद्ध आई.पी.सी. की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

सामान्य अनुदेश

1. अन्तिम नियत तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र, जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे।

2. सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ONLINE APPLICATION' प्रक्रिया में 'SUBMIT' बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को प्रिन्ट आउट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (परिशिष्ट-3) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, कुशल खिलाड़ियों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों तथा दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों को, जो ७०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

4. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और वे तभी आवेदन करें जब वे सन्तुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। पद के लिए वांछित सभी अर्हताएं आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिए।


5. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियाँ (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या-453/79-वि-1-15-1(क)-14-2015 दिनांक 7.4.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

6. किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की प्रश्नगत परीक्षा व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

7. यदि अभ्यर्थी को आन-लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष द्वारा अथवा Website पर "Contact us" से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

8. फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गई है। प्रारम्भिक परीक्षा हेतु जिलों की सूची परिशिष्ट-2 पर तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का नमूना परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है। इसी प्रकार प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा की योजना परिशिष्ट-4 पर तथा प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा हेतु पाद्यक्रम परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है।

Detailed Application Form:

<p>candidate</p> <p>Declaration segment</p> <p>At the bottom of the page there is a 'Declaration' for the candidate. Candidates are advised to go through the content of the Declaration carefully.</p> <p>After filling all above particulars there is provision for preview candidates detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.</p> <p>Preview page will display all facts/particulars that the candidate have mentioned on entry time if they are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that they can print.</p> <p>Otherwise using "Back" button the details can be Modified.</p> <p>[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]</p> <p>For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website http://uppsc.up.nic.in</p> <p>CANDIDATE SEGMENT</p> <hr/> <p>NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS</p> <hr/> <p>All Notifications / Advertisements</p> <hr/> <p>ONLINE FORM SUBMISSION</p> <hr/> <p>1. Candidate Registration (FIRST STAGE)</p> <hr/> <p>2. Fee Deposition / Reconciliation (SECOND STAGE)</p> <hr/> <p>3. Submit Application Form (THIRD STAGE)</p> <hr/> <p>APPLICATION FORM STATUS</p> <hr/> <p>Update your transaction ID by Double Verification mode</p> <hr/> <p>View Application Status</p> <hr/> <p>List of Applications Having Photo related Objections</p> <hr/> <p>Print Duplicate Registration Slip</p> <hr/> <p>Print Detailed Application Form</p> <hr/> <p>EXAMINATION SEGMENT</p> <hr/> <p>Print Address Slip for sending Documents to Commission [Only for Direct Recruitment]</p> <hr/> <p>DOWNLOAD SEGMENT</p> <hr/> <p>Download Admit Card</p> <hr/> <p>Download Interview Letter</p> <hr/> <p>Download Syllabus</p> <hr/> <p>Know your Registration No.</p> <hr/> <p>Click here to view Key Answer Sheet</p> <hr/> <p>Regarding Application:</p> <ol style="list-style-type: none"> On clicking "View Application status" option in candidate Segment page you can see current status of candidate. On clicking "Result" option in candidate Segment page candidate can see result status of periodically. "Interview/Exam Schedule" option in candidate Segment page candidate can see interview and examination schedule details periodically. On clicking "Key Answer Sheet" candidate can download key answer sheet. On clicking "Admit Card/Hall Ticket" candidate can download their Admit Card using with some basic credential of candidate. On clicking "List of Rejected Candidate" candidate can view rejected candidate list. On clicking "Syllabus" candidate can view syllabus of particular examination. <p>(Candidates applying on-line need NOT send hard copy of the On-line Application filled by them on-line or any other document/certificate/testimonial to the Uttar Pradesh Public Service Commission. However they are advised to take printout of the On-line Application and retain it for further communication with the UPPSC.) (The Candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all eligibility conditions for admission to examination. Their admission at all the stages of the examination will be purely provisional subject to satisfying the prescribed</p>	<p>eligibility conditions). UPPSC takes up verification of eligibility conditions with reference to original documents at subsequent stages of examination process.</p> <p>LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS: On-line Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement after which the web-link will be disabled.</p> <p style="text-align: center;">परिशिष्ट -1</p> <p>The Procedure relating to upload Photo & Signature.</p> <p>Guide Lines for Scanning Photograph with Signature</p> <ol style="list-style-type: none"> Paste the Photo on any white paper as per the above required dimensions. Sign in the Signature Space provided. Ensure that the signature is within the box., Scan the above required size containing photograph and signature. Please do not scan the complete page. The entire image (of size 3.5 cm by 6.0 cm) consisting of the photo along with the signature is required to be scanned, and stored in *.jpg, .jpeg, .gif, .tif, .png format on local machine. Ensure that the size of the scanned image is not more than 50 KB. If the size of the file is more than 50KB, then adjust the settings of the scanner such as the DPI resolution, no. colours etc., during the process of scanning. The applicant has to sign in full in the box provided. Since the signature is proof of identity, it must be genuine, and in full; initials are not sufficient. Signature in CAPITAL LETTERS is not permitted. The signature must be signed only by the applicant and not by any other person. The signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever necessary. If the Applicant's signature on answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be disqualified. <p>Sample Image & Signature:-</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">परिशिष्ट-2</p> <p>जिन नगरों में प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जायेगी वे निम्नवत् हैं :- प्रयागराज एवं लखनऊ।</p> <p style="text-align: center;">परिशिष्ट-3</p> <p>उम्रो की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।</p> <p>श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामाच्यता रहता है।</p> <p>स्थान हस्ताक्षर दिनांक पूरा नाम मुहर पद का नाम जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी</p>
---	---

<p>उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण—पत्र</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी सुपुत्र/ सुपत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश</p> <p>राज्य की पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।</p> <p>यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची—दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।</p> <p>श्री/ श्रीमती/ कुमारी तथा/ अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।</p> <p>स्थान हस्ताक्षर दिनांक पूरा नाम मुहर पद का नाम जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार</p> <p style="text-align: center;">(प्रपत्र-1)</p> <p style="text-align: center;">उत्तर प्रदेश सरकार</p> <p>कार्यालय का नाम.....</p> <p>आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण—पत्र</p> <p>प्रमाण पत्र संख्या: दिनांक:</p> <p>वित्तीय वर्ष के लिए मान्य</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी पुत्र/ पति/ पुत्री ग्राम/ कस्बा पोस्ट ऑफिस थाना तहसील जिला राज्य पिन कोड के रसायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे, अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजार वर्ग के सदस्य है, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार कि स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:—</p> <ul style="list-style-type: none"> i) 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर। ii) एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट। iii) अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। iv) अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। <p>2. श्री/ श्रीमती/ कुमारी जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।</p> <p>हस्ताक्षर (कार्यालय का मुहर सहित) पूरा नाम पदनाम जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार।</p> <p style="text-align: right;">आवेदक का फासपोर्ट साइज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ</p>	<p style="text-align: center;">(प्रारूप-2)</p> <p>आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थि स्वयं घोषणा पत्र</p> <p style="text-align: center;">स्वयं घोषणा पत्र</p> <p>मैं पुत्र/ पुत्री/ पत्नी ग्राम/ कस्बा पोस्ट ऑफिस थाना ब्लाक तहसील जिला राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद द्वारा घोषणा करता/ करती हूँ।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/ रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है। 2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वैतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु (शब्दों में) है। 3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है। <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् भी मैं (नाम) आर्थिक रूप से कमजार वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है। <ul style="list-style-type: none"> i) 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर। ii) एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट। iii) अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। iv) अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड। <p>मैं प्रमाणित करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/ करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/ गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ/ जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाणपत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/ लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/ कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/ लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/ रहूँगी।</p> <p>नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।</p> <p>स्थान:</p> <p>दिनांक: आवेदक/ आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम</p> <p style="text-align: center;">(दिव्यांगजन प्रारूप)</p> <p style="text-align: center;">Form-II</p> <p style="text-align: center;">Certificate of Disability</p> <p>(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)</p> <p>(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto; margin-right: auto;"> Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability. </div> <p>Certificate No. Date:</p> <p>This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./ Kum. son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street Post office District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that:</p> <p>(A) he/she is a case of:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ locomotor disability ■ dwarfism ■ blindness <p style="text-align: center;">(Please tick as applicable)</p> <p>(B) The diagnosis in his/her case is _____</p>
--	---

(A) he/she has _____ % (in figure) _____ percent (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her _____ (part of body) as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

3. Signature and seal of the Medical Authority.

(Dr.....)	(Dr.....)	(Dr.....)
Member Medical Board with seal	Member Medical Board with seal	Chairperson Medical Board with seal
Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued		Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

(i) not necessary,
or
(ii) is recommended/after.....years.....months, and
therefore this certificate shall be valid till....
(DD) (MM) (YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs
e.g. Single eye
£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson
Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued		Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)

Form-III

Certificate of Disability

(In cases of multiple disabilities)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph
(showing face only)
of the person with
disability

Certificate No.

Date:

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./
Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of
birth (DD/MM/YY) _____ age _____ years, male/female _____.
Registration No. _____ permanent resident of House No. _____
Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____
State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:
(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent
physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines
(.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the
disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in
the table below:

S. No.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low Vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows:-

In figures.....percent.

In words.....percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-

Form-IV

Certificate of Disability

(In cases other than those mentioned in Forms II and III)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph
(Showing face only)
of the person with
disability

Certificate No.

Date:

This is to certify that I have carefully examined.

Shri/Smt. Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of birth (DD/MM/YY) _____ Age _____ Years, male/female _____

Registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____ Post Office _____

District _____ State _____,

whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of _____ disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:

S. No.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low Vision	#		
7.	Deaf	£		
8.	Hard of Hearing	£		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:

(i) not necessary, or

(ii) is recommended/after _____ years _____ months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) _____

@ - e.g. Left/Right/both arms/legs

- e.g. Single eye/both eyes

£ - e.g. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority:-

<p style="text-align: center;">परिशिष्ट-4 परीक्षा योजना प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) सामान्य अध्ययन/सा. हिन्दी/माइनिंग इंजीनियरिंग</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>विषय का नाम</th><th>प्रश्नों की संख्या</th><th>अधिकतम प्राप्तांक</th><th>समयावधि</th><th>भाषा</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सामान्य अध्ययन</td><td>25</td><td>50</td><td rowspan="4">दो घण्टा</td><td rowspan="4">हिन्दी और अंग्रेजी</td></tr> <tr> <td>सामान्य हिन्दी</td><td>25</td><td>50</td></tr> <tr> <td>माइनिंग</td><td>100</td><td>200</td></tr> <tr> <td>इंजीनियरिंग</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>कुल</td><td>150</td><td>300</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">(प्रत्येक प्रश्न दो अंकों का होगा)</p> <p style="text-align: center;">मुख्य (लिखित) परीक्षा</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रश्नपत्र – माइनिंग इंजीनियरिंग 2. समयावधि – 03 घण्टे 3. पूर्णांक – 200 <p>प्रश्नों की कुल संख्या—8 होगी। प्रश्न पत्र खण्ड—‘अ’ एवं खण्ड ‘ब’; दो भागों में विभाजित होगा। प्रश्न संख्या—1 करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक खण्ड से दो प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे तथा कुल 05 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 40 अंकों का होगा।</p> <p style="text-align: center;">परिशिष्ट-5 प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन (प्रारम्भिक परीक्षा हेतु)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सामान्य विज्ञान (हाईस्कूल स्तर) 2. भारत का इतिहास 3. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन 4. भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति 5. भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार 6. विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन 7. अधुनात्म राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना क्रम 8. सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता 9. उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन—सहन और सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी 10. प्रारम्भिक गणित आठवीं स्तर तक—अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित 11. परिस्थितिकी तथा पर्यावरण <p style="text-align: center;">सामान्य हिन्दी (प्रारम्भिक परीक्षा हेतु)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. विलोम 2. वाक्य एवं वर्तनी—शुद्धि 3. अनेक शब्दों (वाक्यांश) के लिए एक शब्द 4. तत्सम एवं तद्भव शब्द 5. विशेष्य और विशेषण 6. पर्यायवाची शब्द 7. सन्धि एवं समास 8. उपसर्ग—प्रत्यय 9. मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ <p style="text-align: center;">Mining Engineering (प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा हेतु)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mining Geology and Economic Geology Physical Geology- Constitution of earth's interior, earthquake and volcano, weathering. Mineralogy-Physical properties of minerals, identification of minerals, Mohs scale of hardness. Petrology- Basics of igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Structural geology- Dip and strike, folds, faults, joints, joint sets. Stratigraphy- Geologic time scale, classification of Indian rock formations, fossils and their uses. Economic geology-Origin of coal, classification of Indian coals, Indian coal deposits, classification of ore deposits, Indian mineral wealth, mineral prospecting, sampling methods. 2. Mine Surveying Principles of surveying. Distance measurement techniques. Chain surveying. Computation of area and volume. 	विषय का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम प्राप्तांक	समयावधि	भाषा	सामान्य अध्ययन	25	50	दो घण्टा	हिन्दी और अंग्रेजी	सामान्य हिन्दी	25	50	माइनिंग	100	200	इंजीनियरिंग			कुल	150	300		
विषय का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम प्राप्तांक	समयावधि	भाषा																				
सामान्य अध्ययन	25	50	दो घण्टा	हिन्दी और अंग्रेजी																				
सामान्य हिन्दी	25	50																						
माइनिंग	100	200																						
इंजीनियरिंग																								
कुल	150	300																						